

नगर परिषद मैहतपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि

1.4.2015 से 31.3.2017

भाग-एक

- 1 प्रारम्भिक:- (क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 / 81 - फिन (एल०ए०) -खण्ड – iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद मैहतपुर के लेखों का अंकेक्षण कार्य किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या: UD-A(3)1/2015 दिनांक 28-01-2016 के अन्तर्गत नगर पंचायत मैहतपुर को नगर परिषद स्तर तक अपग्रेड किया गया।

अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.17 के दौरान नगर परिषद मैहतपुर के प्रधान व सचिव/कार्यकारी अधिकारी निम्नानुसार थे:-

1) प्रधान

| क्र० सं० | नाम | पद नाम | अवधि |
|----------|----------------|--------|-------------------|
| 1 | श्री सोहन सिंह | प्रधान | 1-4-15 से 17-2-16 |
| 2 | श्रीमति मंजू | प्रधान | 18-2-16 से लगातार |

2) सचिव/कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद

| क्र० सं० | नाम | अवधि |
|----------|---------------------|---------------------|
| 1 | श्री जगपाल सिंह | 01-04-15 से 22-3-16 |
| 2 | श्री प्रेम चंद बतरा | 28-3-16 से 13-6-16 |
| 3 | श्री जगपाल सिंह | 14-6-16 से 30-6-16 |
| 4 | श्री सतीश कुमार | 18-7-16 से 2-10-16 |
| 5 | श्रीमति वर्षा चौधरी | 3-10-16 से लगातार |

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

नगर परिषद मैहतपुर के अवधि 1.4.15 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्नलिखित है:-

| क्र०सं० | गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण | पैरा सं० | ₹ (लाखों) |
|---------|---------------------------------------|----------|-----------|
|---------|---------------------------------------|----------|-----------|

| | | | में) |
|----|--|-----|--------|
| 1 | अनुदानों की राशि व्यय हेतु शेष | 7.1 | 196.59 |
| 2 | व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना | 7.2 | 324.11 |
| 3 | चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि का अनुचित व्यय | 7.3 | 113.62 |
| 4 | स्वीकृत बजट से अधिक व्यय | 8 | 65.56 |
| 5 | गृहकर, दुकान किराये, चूल्हा कर व मोबाईल टावर स्थापना / नवीनीकरण शुल्क की वसूली हेतु शेष राशि | 9 | 279.54 |
| 6 | गृह कर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने के कारण हुई हानि | 9.2 | 27.02 |
| 7 | गृह कर में अनाधिकृत तरीके से छूट देने के कारण हुई राजस्व की हानि | 9.3 | 1.10 |
| 8 | सावधिक निवेश पर बैंक द्वारा टी0डी0एस0 के रूप में की गई कटौती | 12 | 0.31 |
| 9 | गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री जगपाल सिंह को वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान | 14 | 1.30 |
| 10 | वेतन व बकाया वेतन बिलों के रूप में श्री बलदेव सिंह, कनिष्ठ सहायक को वेतन एवम भत्तों के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान | 15 | 0.79 |
| 11 | गलत स्थानापन्न के कारण श्री लोक भानू, लिपिक को वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान | 16 | 0.20 |
| 12 | देरी से कार्य निष्पादन करने के बावजूद संविदाकारों से अवार्ड पत्र की शर्तों के अनुसार विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली न करना | 19 | 1.48 |
| 13 | टी० डी० एस० की वसूली न करना | 23 | 0.18 |
| 14 | निर्धारित दर से कम दर पर टेंडर बिक्री करने के कारण हुई वित्तीय हानि | 24 | 0.24 |
| 15 | संस्थापना पर अनाधिकृत व्यय | 25 | 91.18 |

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसके फलस्वरूप गम्भीर प्रकृति के पैरों व अन्य पैरों का कई वर्ष बीत जाने के उपरांत भी समायोजन /निपटारा संभव नहीं हो सका। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि नगर परिषद अधिकारियों को गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के पैरों और विशेषकर अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपतियों से संबंधित पैरों के निपटारे हेतु समयबद्ध ढंग से अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु उचित निर्देश जारी करें, ताकि गत वर्षों से अनिर्णीत पैरों का समायोजन हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट – (क) पर दिया गया है।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर परिषद मैहतपुर के अवधि 1-04-2015 से 31-03-2017 के लेखाओं का अंकेक्षण श्री राजकुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 18-08-2017 से 18-09-17 तक मैहतपुर में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

| वित्तीय वर्ष | आय | व्यय |
|--------------|------|-------|
| 2015-16 | 3/16 | 10/15 |

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मैहतपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

नगर परिषद के अवधि 1.4.15 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹41400 आँका गया। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर से अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या -197 दिनांक 13-09-17 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया मैहतपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या: 908348 दिनांक 25-09-2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा विभाग, शिमला -9 के नाम पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया है। अंकेक्षण शुल्क का विवरण परिशिष्ट - (क - 1) पर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति :-

नगर परिषद मैहतपुर के लेखाओं अवधि 1.4.15 से 31.3.17 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण परिशिष्ट - (ख) पर भी दिया गया है।

वर्ष 2015-16

| | आरम्भिक शेष | आय | कुल योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| स्वयं स्रोत | 1674481.94 | 2815158 | 4489639.94 | 1659147.00 | 2830492.94 |
| अनुदान | 11412651.99 | 16962107 | 28374758.99 | 18298524.20 | 10076234.79 |
| योग | 13087133.93 | 19777265 | 32864398.93 | 19957671.20 | 12906727.73 |

वर्ष 2016-17

| | आरम्भिक शेष | आय | कुल योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| स्वयं स्रोत | 2830492.94 | 2851706 | 5682198.94 | 3244734.93 | 2437464.01 |
| अनुदान | 10076234.79 | 23694509 | 33770743.79 | 14112005 | 19658738.79 |
| योग | 12906727.73 | 26546215 | 39452942.73 | 17356739.93 | 22096202.8 |

4.1 बैंक समाधान विवरणिका :-

| क्र०सं० | विवरण | राशि |
|--|---|--------------|
| 1. | दिनांक 31.03.2017 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष | 22096202.80 |
| 2. | जमा (+) चैक निर्गमित किए गए लेकिन दिनांक 31.03.2017 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए | (+) 31051.00 |
| 3. | घटाव (-) चैक जो बैंक में जमा करबाए लेकिन जिनका 31-3-17 तक बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया | (-) 20000.00 |
| 4. | घटाव (-) हस्तगत रोकड़ दिनांक 31-03-2017 | (-) 55544.73 |
| 5. | दिनांक 31.03.2017 को बैंक में जमा शेष राशि | 22051709.07 |
| (i) चैक निर्गमित किए गए लेकिन दिनांक 31.03.2017 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए :- | | |

| क्रम संख्या | चैक संख्या | चैक जारी करने की तिथि | बैंक का नाम | भुगतान की तिथि | राशि |
|-------------|------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| 1 | 178681 | 22-3-17 | स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला मैहत्पुर | 5-4-17 | 8330 |
| 2 | 178685 | 28-3-17 | स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला मैहत्पुर | 29-4-17 | 22718 |
| 3 | 178686 | 28-3-17 | स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला मैहत्पुर | 20-4-17 | 3 |
| योग | | | | | 31051 |

(ii) चैक जो बैंक में जमा करबाए लेकिन जिनका 31-3-17 तक बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया :-

| क्रम संख्या | चैक संख्या | बैंक का नाम | जमा करवाने की तिथि | बैंक द्वारा क्रेडिट करने की तिथि | राशि |
|-------------|------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|
| 1 | 20865 | एच० डी० एफ० सी० बैंक मैहत्पुर | 31-03-2017 | 5-04-2017 | 20000 |

(iii) हस्तगत रोकड़ दिनांक 31-03-2017 55544.73

(iv) दिनांक 31-03-2017 को अन्तिम शेष का विवरण :-

| क्रम संख्या | खाता संख्या | बैंक का नाम | राशि |
|-------------|-------------|---|-------------|
| 1 | 9281 | यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया मैहत्पुर | 42892.00 |
| 2 | 19863 | कॉगड़ा सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक मैहत्पुर | 1394383.00 |
| 3 | 4785 | स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला मैहत्पुर | 15957732.88 |
| 4 | 6885 | स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया मैहत्पुर | 63991.25 |
| 5 | 9687 | यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया मैहत्पुर | 28171.00 |
| 6 | 24545 | कॉगड़ा सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक मैहत्पुर | 1134261.80 |
| 7 | 16650 | पंजाब नैशनल बैंक मैहत्पुर | 233862.84 |
| 8 | 20340 | एच० डी० एफ० सी० मैहत्पुर | 3193515.00 |
| 9 | | पी० एल० ए० ऊना | 481.00 |
| 10 | | सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना | 2418.30 |
| योग | | | 22051709.07 |

4.2 सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना शाखा में दिनांक 31-03-17 को ₹2481.30 शेष राशि दर्शाई गई है, परन्तु उक्त खाते की पास बुक तथा बैंक का प्रमाण पत्र आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्ष 2013-15 के अंकेक्षण के दौरान भी उक्त पास बुक प्रस्तुत नहीं की गई और न ही उक्त राशि पर प्राप्त ब्याज इत्यादि को रोकड़ बही में दर्ज किया गया है जोकि एक गम्भीर

अनियमितता है। अतः उक्त खाते की पास बुक आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

- 4.3 पी० एल० ए० ऊना, डाकघर ऊना में दिनांक 31-03-17 को ₹481.00 शेष राशि दर्शाई गई है परन्तु उक्त खाते की पास बुक तथा डाकघर का प्रमाण पत्र आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त खाते की पासबुक आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

5 पेंशन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति:-

नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट - (ग) पर अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पेंशन एव उपदान निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नलिखित है।

| वित्तीय वर्ष | आरम्भिक शेष | आय | कुलयोग | व्यय | अन्तिम शेष |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2015-16 | 6684222.00 | 940832.00 | 7625054.00 | 309313.98 | 7315740.02 |
| 2016-17 | 7315740.02 | 2202557.00 | 9518297.02 | 1212740.93 | 8305556.09 |

दिनांक 31-03-2017 को बैंक में सावधिक निवेश व बचत खाते में शेष राशि :-

| क्रम संख्या | खाता संख्या | बैंक का नाम | राशि |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|------------|
| 1 | 0786000100173865 | पी० एन० बी० मैहतपुर | 1576595.09 |
| 2 | सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि | | 6730061 |
| योग | | | 8306656.09 |

5.1 बैंक समाधान विवरण:-

दिनांक 31-03-17 को बैंक में सावधिक निवेश व बचत खाता में जमा शेष राशि = ₹8306656.09

घटाव (-) चैक संख्या 804994 दिनांक 28-03-17 को जारी किया गया लेकिन दिनांक 31-03-17 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया= ₹1100

दिनांक 31-03-2017 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष=₹8305556.09

5.2 सावधिक निवेश:-

दिनांक 31.03.2017 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार है जिसका विवरण परिशिष्ट - (ग-1) पर भी दिया गया है।

| क्रम संख्या | एफ० डी० संख्या | निवेश की तिथि | निवेशित राशि | परिपक्वता तिथि | परिपक्वता राशि | ब्याज दर | अवधि | बैंक का नाम |
|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------------------------|
| 1 | 30153470376 | 10-7-14 | 1529477 | 10-7-17 | 1982970 | 8.75% | 1096 दिन | एस० बी० आई० मैहतपुर पी० एन० |
| 2 | 078600PR00031533 | 8-7-16 | 2478625 | 8-07-19 | 3069417 | 7.20% | 3 वर्ष | बी० मैहतपुर पी० एन० |
| 3 | 078600DP00019380 | 31-1-17 | 2721959 | 31-1-20 | 3342058 | 6.90% | 3 वर्ष | बी० मैहतपुर |
| योग | | | 6730061 | | | | | |

- 6 नगर परिषद मैहतपुर के तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण:- नगर परिषद मैहतपुर की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

| वित्तीय वर्ष | आय | व्यय |
|--------------|----------|----------|
| 2012-13 | 16150867 | 21121769 |
| 2013-14 | 13954153 | 14179976 |
| 2014-15 | 27936949 | 22311040 |

- 7 अनुदान:-

अंकेक्षण अवधि 1.4.15 से 31.3.17 के दौरान विभिन्न संस्थाओं से नगर परिषद को प्राप्त अनुदान राशियों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है जिसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवदेन के परिशिष्ट -(घ) पर दिया गया है।

| वित्तीय वर्ष | आरम्भिक शेष | वर्ष के दौरान प्राप्त राशि | कुलयोग | वर्ष के दौरान व्यय राशि | अन्तिम शेष |
|--------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 2015-16 | 11412651.99 | 16962107 | 28374758.99 | 18298524.20 | 10076234.79 |
| 2016-17 | 10076234.79 | 23694509 | 33770743.79 | 14112005.00 | 19658738.79 |

- 7.1 अनुदानों की ₹196.59 लाख व्यय हेतु शेष

अंकेक्षण को परिशिष्ट -(घ) के अनुसार उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 को गत वर्षों के प्राप्त अनुदानों के रूप में ₹19658738.79 व्यय हेतु शेष पाई गई। अनुदान राशियों का अत्याधिक मात्रा में शेष रहना व अनुदान राशियों को निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय न कर पाने के कारण जहाँ एक ओर अनुदानों का अनावश्यक संग्रह हुआ है वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद के विकासात्मक कार्य भी प्रभावित हुए हैं।

अतः अनुपयुक्त इस राशि को समयवध प्रयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयुक्त इस राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर समयवध व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

- 7.2 ₹324.11 लाख के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट- (घ) के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹18298524.20 व 2016-17 में ₹14112005 अर्थात कुल ₹32410529.20 का व्यय किया गया दर्शाया गया है लेकिन अनुदान की राशि जिन जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर परिषद द्वारा व्यय की गयी है, उसकी सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी क्योंकि नगर परिषद द्वारा अनुदान रजिस्टर को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया व न ही अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण

ब्यौरा जैसे कि माह / दिनांक, बिल/वाऊचर इत्यादि से संबन्धित विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज किए जाएं व सम्पूर्ण अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए, ताकि व्यय की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

7.3 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की राशि में से ₹113.62 लाख का अनुचित व्यय:-

अंकेक्षण के दौरान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि एवम उससे किया गए व्यय की जाँच करने पर पाया गया की वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरणानुसार ₹24992449 की अनुदान राशि प्राप्त हुई थी:-

| क्रम संख्या | प्राप्ति की तिथि | पत्र संख्या | प्राप्त राशि (₹) |
|-------------|------------------|--|------------------|
| 1 | 20-07-15 | UD-H(C) (10)-1/2015 दिनांक 20-07-15 | 11869938 |
| 2 | 2-11-15 | UD-H(C) (10)-1/2015 दिनांक 2-11-15 | 262187 |
| 3 | 20-07-15 | UD-H(F)(10)-3/2015-8560-92 दिनांक 12-07-16 | 12860324 |
| योग= | | | ₹24992449 |

उपरोक्त प्राप्त समस्त अनुदानों में से वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान क्रमश ₹11948228 व ₹9547053 का व्यय किया गया। अनुदान जारी करने से सम्बन्धित उपरोक्त पत्रों के अनुसार अनुदान की प्राप्त राशि का उपयोग निम्न उद्देश्यों हेतु किया जाना अपेक्षित था।

(i) Maintenance of Assets (Like streets, Street lighting, Public toilets, Parks, Office building, Town halls, Drainage etc.)

(ii) Performance of statutory and delegated function

(iii) Honorarium to elected representative.

नगर परिषद द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से अनुदान की राशि का उपयोग वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य हेतु भी किया गया था, जिसका मदवार विवरण निम्न प्रकार से है तथा जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट –ड. पर दिया गया है।

| क्रम संख्या | व्यय का विवरण | राशि |
|------------------|---|----------|
| 1 | कर्मचारियों के वेतन व भत्तों का भुगतान | 8793574 |
| 2 | कर्मचारियों के जी० पी० एफ० व सी० पी एफ का भुगतान | 2494877 |
| 3 | कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान | 73446 |
| कुल अनियमित व्यय | | 11361897 |

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अनुदान से उपरोक्त विवरणानुसार किए गए अनुचित एवं अनियमित व्यय ₹11361897 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-196 दिनांक 13-09-17 के अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ अंकेक्षण के दौरान ही लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्त होने तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। नगर परिषद के विकास कार्यों एवं अनुदान की शर्तों के अनुसार व्यय न करके अन्य उद्देश्यों हेतु अनुदान का उपयोग करना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अनुदान से उपरोक्त विवरणानुसार किए गए अनुचित एवं अनियमित ₹11361897 के व्यय बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनियमित रूप

से किए गए व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा उपरोक्त राशि की उचित स्रोत से प्रतिपूर्ति करके राशि सम्बन्धित अनुदान में जमा की जाए। उपरोक्त गम्भीर मामला निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

8 स्वीकृत बजट ₹65.56 लाख का अधिक व्यय:-

नगर परिषद मैहतपुर का वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 तक का स्वीकृत बजट व व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है।

| वर्ष | स्वीकृत बजट | वास्तविक व्यय | अन्तर |
|---------|-------------|---------------|---------|
| 2015-16 | 14751500 | 19957692 | 5206192 |
| 2016-17 | 16007000 | 17356739 | 1349739 |
| | | योग | 6555931 |

स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की गई ₹6555931 का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी। अतः इस प्रकरण में म्युनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग के अनुमोदन/स्वीकृति से व्यय को नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 गृहकर, दुकानों के किराये, तथा मोबाईल टावर स्थापना / नवीनीकरण शुल्क इत्यादि की ₹279.54 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

दिनांक 31.03.2017 तक निम्न शीर्षों के अंतर्गत ₹27953848 की वसूलियां निम्न विवरणानुसार शेष थी।

| क्रम संख्या | विवरण | राशि | परिशिष्ट |
|-------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 1 | गृहकर | 27017457 | च - 1 |
| 2 | दुकान किराया | 592766 | च - 2 |
| 3 | चुल्हा टैक्स | 197050 | च - 3 |
| 4 | मोबाईल टावर स्थापना / नवीनीकरण शुल्क | 146575 | च - 4 |
| | कुल योग | 27953848 | |

निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या ULB-H(A)1-87-9237-9284 दिनांक 20-06-01 के अनुसार गृहकर एवं अन्य बकाया राशियों की 100% वसूली करने हेतु आदेश दिए गए थे तथा विफलता पर सम्बन्धित सचिव को उत्तरदायी ठहराया जाना था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर परिषद द्वारा उक्त पत्र के दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है अन्यथा दिनांक 31-03-17 को इतनी अधिक राशि वसूली योग्य शेष न रहती। अतः परामर्श दिया जाता है कि बकाया राशियों की वसूली हेतु अविलम्ब समुचित पग उठाये जाएं ताकि नगर पंचायत के विकास कार्य प्रभावित न हों।

9.1 गृहकर की ₹270.17 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को परिशिष्ट (च -1) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को गृहकर के रूप में ₹27017457 वसूली हेतु शेष थी। हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि / टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी यह आय अदत रहती है तो संबंधित नगर पंचायत/ नगर परिषद सचिव लिखित से सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/ नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि खर्चों व लागत वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है, परन्तु नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में आज तक किसी भी कार्यवाही को अमल में नहीं लाया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि गृह कर की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

9.2 गृह कर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने के कारण ₹27.02 लाख की हानि बारे

निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(B)(15)-4-99 दिनांक 20-06-03 के अनुसार चालू वर्ष की गृह कर का बिल जारी होने के उपरान्त 10 दिनों के भीतर कर जमा करवाने पर, कर की राशि पर 20% की छूट की जानी अपेक्षित थी, परन्तु निर्धारित समय अवधि पर कर की राशि जमा न करवाने पर बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज लगाया जाना अपेक्षित था। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा यद्यपि निर्धारित समय पर कर चुकाने पर 20% की छूट दी थी, परन्तु निर्धारित समय पर कर न चुकाने पर बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज नहीं लगाया गया था, जिस कारण नगर परिषद को दिनांक 31-03-17 तक गृह कर के रूप में वसूली हेतु शेष ₹27017457 पर 10% सरचार्ज के रूप में कम से कम ₹2701746 (27017457 x 10%) की वित्तीय हानि उठानी पड़ी। गृह कर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने के कारण हुई हानि ₹2701746 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -192 दिनांक 11-09-17 के अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः सरचार्ज न लगाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा समय पर गृह कर न चुकाने वाले गृह कर दाताओं की बकाया राशि पर नियमानुसार सरचार्ज निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.3 गृह कर में अनाधिकृत तरीके से छूट देने के कारण ₹1.10 लाख के राजस्व की हानि:-

गृह कर की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद मैहतपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान गृह कर दाताओं को छूट के रूप में ₹110239 का अनुचित लाभ दिया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष

2015-16 के दौरान प्रस्ताव/कार्यवाही रजिस्टर में गृह कर छूट से सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव मौजूद नहीं था। अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना गृह कर संग्रहकर्ता कर्मचारी द्वारा अपने स्तर पर ही अनाधिकृत तरीके से गृह कर में 20% की छूट प्रदान की गई। इस अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 193 दिनांक 11-09-17 के अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त गृह कर छूट को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से ₹110239 की वसूली करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि नगर परिषद निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.4 दुकानों के किराये के रूप में दिनांक 31-03-2017 को ₹5.93 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट (च - 2) के अनुसार अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 को किराये के रूप में ₹592766 वसूली हेतु शेष थे। हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय है देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय अदत रहती है तब सम्बन्धित नगर पंचायत/परिषद सचिव /कार्यकारी अधिकारी लिखित रूप में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित पत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत / नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तब सम्बन्धित सचिव/कार्यकारी अधिकारी कर देय राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था, व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है, परन्तु नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि दुकानों के किराये की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

9.5 मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹1.47 लाख की वसूली न करना:-

सचिव (आई० टी०) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: डी० ई० वी० - (आई० टी०) 2005 / विविध दिनांक 22.08.2006 द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में यदि मोबाईल कम्पनियां अपने टावर लगाती है, तो उनसे ₹10,000 टावर स्थापना शुल्क तथा ₹5000 प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ोतरी करनी अनिवार्य है। जांच के दौरान पाया गया कि निम्न कम्पनियों ने नगर परिषद क्षेत्र में अपने मोबाईल टावर स्थापित किए है तथा उनसे नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूल नहीं की गई है जिसकी वसूली शीघ्र की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। मोबाईल कम्पनियों से वसूली योग्य राशि का विवरण निम्नानुसार है जिसका विवरण परिशिष्ट (च - 4) पर भी दिया गया है।

| क्रम संख्या | कंपनी का नाम | दिनांक 31.03.2017 तक वसूली |
|-------------|--------------|----------------------------|
|-------------|--------------|----------------------------|

| | | योग्य राशि |
|-----|--------------------|------------|
| 1 | बी० एस० एन० एल० | 14065 |
| 2 | रिलायंस | 84695 |
| 3 | डिश्नेट वायरलैस | 18750 |
| 4 | टाटा टैली सर्विसेज | 29065 |
| योग | | 146575 |

10 शराब शुल्क की वसूली न करना :-

जाँच के दौरान पाया गया की वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर परिषद क्षेत्र में बेची गई शराब की बोटलों पर एक रूपये की दर से शराब की वसूली नहीं की गई है। अतः इस बारे मामला सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए तथा उक्त अवधि के लिए शराब कर की वसूली शीघ्र करके इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 विधुत उपयोग कर की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल० एस० जी० डी० (1) 9 / 94 दिनांक 24-08-2000 के अनुसार नगर परिषद के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विधुत बोर्ड द्वारा नगर परिषद को भुगतान किये जाने का प्रावधान था, लेकिन नगर परिषद द्वारा अवधि 1-04-15 से 31-03-17 के लिए विधुत उपयोग कर की वसूली विधुत विभाग से नहीं की गई है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख /आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण को आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किए जाए।

12 सावधिक निवेश पर बैंक द्वारा ₹0.31 लाख की टी0डी0एस0 के रूप की गई कटौती के बारे में:-

अंकेक्षण के दौरान जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत मैहतपुर में पेंशन एवं उपदान निधि से पी0 एन0 बी0 मैहतपुर में वित्तीय वर्ष 2015- 16 व 2016-17 के दौरान सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों पर वसूली योग्य ब्याज से टी0 डी0 एस0 काटा गया है जिसके कारण नगर पंचायत को ब्याज के रूप में ₹31403 की हानि हुई है।

| क्रम सं० | एफ0डी0 सं० | निवेश कि तिथि | निवेशित राशि | परिपक्वता तिथि | परिपक्वता योग्य राशि | वसूली/ पुनः निवेशित राशि | टी0 डी0 एस0 के रूप में काटी गई राशि |
|----------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 078600PR00031533 | 8.7.13 | 1919998 | 8.7.16 | 2489282 | 2478625 | 10657 |
| 2 | 078600DP00019380 | 31.1.14 | 2100000 | 31.1.17 | 2742705 | 2721959 | 20746 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----|-------|
| | | | | | | योग | 31403 |
|--|--|--|--|--|--|-----|-------|

13 गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री जगपाल सिंह को वेतन एवम भत्तों के रूप में ₹1.30 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान :-

श्री जगपाल सिंह के वेतन के प्रकरण की जांच करने पर पाया गया कि उक्त अधिकारी की पे व ग्रेड पे का गलत निर्धारण करने के कारण अवधि 1.7.13 से 30.6.16 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹130351 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। उक्त अधिकारी दिनांक 30.6.16 को सेवा निवृत्त हो चुका है। निदेशक शहरी विकास विभाग द्वारा उनकी सेवा पंजिका में निम्नलिखित प्रकार से उनका वेतन निर्धारित किया गया व तदानुसार उनकी पेंशन निर्धारित की गई।

| क्रम संख्या | वार्षिक वेतन बढ़ोतरी की तिथि | देय वेतन (पे + ग्रेड पे) | टिप्पणी |
|-------------|------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 1-6-13 | 18350+4400=22750 | |
| 2 | 1-6-14 | 19040+4400=23440 | |
| 3 | 1-12-14 | 19040+4600=23640 | Grade pay revised vide letter no. UD-H B (7) 2/2009 dated 19.12.14 w.e.f. 1.12.14 |
| 4 | 1-6-15 | 19750+4600=24350 | |
| 5 | 1-6-16 | 20480+4600=25080 | |
| 6 | 16-6-16 | 21240+4800=26040 | Promoted as executive officer vide letter No. UD-B (2)-1/2014 dated 2.6.16 and joined duty on dated 16.6.16 |

निदेशक शहरी विकास विभाग द्वारा निर्धारित उपरोक्त उल्लेखित वेतन निर्धारण के स्थान पर श्री जगपाल ठाकुर द्वारा अवधि 1.7.13 से 30.6.16 के दौरान निम्नलिखित प्रकार से वेतन दिया गया है।

| क्र०सं० | वार्षिक वेतन बढ़ोतरी की तिथि | स्थापना जाँच रजिस्टर के अनुसार दिया गया वेतन (पे+ग्रेड पे) |
|---------|------------------------------|--|
| 1 | 1.6.13 | 19750+4800=24550 |
| 2 | 1.6.14 | 20490+4800=25290 |
| 3 | 1.6.15 | 21250+4800=26050 |
| 4 | 1.6.16 | 22040+4800=26840 |
| 5 | 16.6.16 | 22040+4800=26840 |

अतः वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन आहरित करने के कारण श्री जगपाल ठाकुर को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹130351 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:-

| क्र०सं० | अवधि | देय वेतन (पे+ग्रेड पे) | दिया गया वेतन (पे+ग्रेड पे) | अन्तर | महंगाई भत्ता की दर | महंगाई भत्ता राशि | योग | माह | कुल राशि |
|---------|------|------------------------|-----------------------------|-------|--------------------|-------------------|-----|-----|----------|
|---------|------|------------------------|-----------------------------|-------|--------------------|-------------------|-----|-----|----------|

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------|------------------|------------------|------|------|------|------|-----------|--------|
| 1 | 1.7.13 से 31.12.13 | 18350+4400=22750 | 19750+4800=24550 | 1800 | 90% | 1620 | 3420 | 6 | 20520 |
| 2 | 1.1.14 से 31.5.14 | 18350+4400=22750 | 19750+4800=24550 | 1800 | 100% | 1800 | 3600 | 5 | 18000 |
| 3 | 1.6.14 से 30.6.14 | 19040+4400=23440 | 20490+4800=25290 | 1850 | 100% | 1850 | 3700 | 1 | 3700 |
| 4 | 1.7.14 से 30.11.14 | 19040+4400=23440 | 20490+4800=25290 | 1850 | 107% | 1980 | 3830 | 5 | 19150 |
| 5 | 1.12.14 से 31.12.14 | 19040+4600=23640 | 20490+4800=25290 | 1650 | 107% | 1766 | 3416 | 1 | 3416 |
| 6 | 1.1.15 से 31.5.15 | 19040+4600=23640 | 20490+4800=25290 | 1650 | 113% | 1865 | 3515 | 5 | 17575 |
| 7 | 1.6.15 से 30.6.15 | 19750+4600=24350 | 21250+4800=26050 | 1700 | 113% | 1921 | 3621 | 1 | 3621 |
| 8 | 1.7.15 से 31.12.15 | 19750+4600=24350 | 21250+4800=26050 | 1700 | 119% | 2023 | 3723 | 6 | 22338 |
| 9 | 1.1.16 से 31.5.16 | 19750+4600=24350 | 21250+4800=26050 | 1700 | 125% | 2125 | 3825 | 5 | 19125 |
| 10 | 1.6.16 से 15.6.16 | 20480+4600=25080 | 22040+4800=26840 | 1760 | 127% | 2235 | 3995 | 15 दिन | 1998 |
| 11 | 16.6.16 से 30.6.16 | 21240+4800=26040 | 22040+4800=26840 | 800 | 127% | 1016 | 1816 | 15 दिन | 908 |
| | | | | | | | | योग | 130351 |

उक्त वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 186 दिनांक 4.9.17 के माध्यम से कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः गलत वेतन निर्धारण के कारण अवधि 1.7.13 से 30.6.16 तक श्री जगपाल सिंह को वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान ₹130351 को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

- 14 वेतन व बकाया वेतन बिलों के रूप में श्री बलदेव सिंह, कनिष्ठ सहायक को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹0.79 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान:—

श्री बलदेव सिंह, कनिष्ठ सहायक की सेवापंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी की पे व ग्रेड पे का गलत निर्धारण करने के कारण अवधि 1.8.12 से 31.7.17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹78840 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

| | | | |
|---------|------------------------------------|------------------------|---------|
| क्र०सं० | वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि | देय वेतन (पे+ग्रेड पे) | टिप्पणी |
|---------|------------------------------------|------------------------|---------|

| | | | |
|---|---------|------------------|---|
| 1 | 1.8.12 | 10140+2000=12140 | |
| 2 | 1.10.12 | 10300+3200=13500 | Scale and grade pay revised from 1.10.12 |

| | | | |
|---|---------|------------------|--|
| 3 | 1.10.13 | 10710+3200=13910 | |
| 4 | 1.10.14 | 11130+3200=14330 | |
| 5 | 23.9.15 | 11130+3600=14730 | Placed as Junior Assistant Vide office Order No. NPM/Est/1/15-519-26 dated 23.9.15 |
| 6 | 1.10.15 | 11580+3600=15180 | |
| 7 | 1.6.16 | 12040+3600=15640 | |

उपरोक्त उल्लेखित वेतन निर्धारण के स्थान पर श्री बलदेव सिंह, कनिष्ठ सहायक द्वारा अवधि 1.8.12 से 31.3.17 को स्थापना जाँच रजिस्टर व सेवापंजिका के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से वेतन दिया गया है।

| | | |
|---------|------------------------------|--|
| क्र०सं० | वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि | स्थापना जाँच रजिस्टर के अनुसार दिया गया वेतन (पे+ग्रेड पे) |
| 1 | 1.8.12 | 10680+2000=12670 |
| 2 | 1.10.12 | 10680+3200=13880 |
| 3 | 1.4.13 | 11100+3200=14300 |
| 4 | 1.4.14 | 11530+3200=14730 |
| 5 | 1.4.15 | 11980+3600=15580 |
| 6 | 1.4.16 | 12450+3600=16050 |
| 7 | 1.4.17 | 12450+3600=16050 |

| क्र० सं० | अवधि | देय वेतन (पे+ग्रेड पे) | दिया गया वेतन (पे+ग्रेड पे) | अन्तर | महंगाई भत्ता की दर | महंगाई भत्ता राशि | आई०आर० 5% (1.8.16) | योग | माह | कुल राशि |
|----------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|------|-----|----------|
| 1 | 1.8.12 से 30.9.12 | 10140+2000=12140 | 10680+2000=12670 | 540 | 72% | 389 | - | 929 | 2 | 1858 |
| 2 | 1.10.12 से 31.12.12 | 10300+3200=13500 | 10680+3200=13880 | 380 | 72% | 274 | - | 654 | 3 | 1962 |
| 3 | 1.1.13 से 31.3.13 | 10300+3200=13500 | 10680+3200=13880 | 380 | 80% | 304 | - | 684 | 3 | 2052 |
| 4 | 1.4.13 से 30.6.13 | 10300+3200=13500 | 11100+3200=14300 | 800 | 80% | 640 | - | 1440 | 3 | 4320 |
| 5 | 1.7.13 से 30.9.13 | 10300+3200=13500 | 11100+3200=14300 | 800 | 90% | 351 | - | 741 | 3 | 4560 |
| 6 | 1.10.13 से 31.12.13 | 10710+3200=13910 | 11100+3200=14300 | 390 | 90% | 351 | - | 741 | 3 | 2223 |
| 7 | 1.1.14 से 31.3.14 | 10710+3200=13910 | 11100+3200=14300 | 390 | 100% | 390 | - | 780 | 3 | 4920 |
| 8 | 1.4.14 से 30.6.14 | 10710+3200=13910 | 11530+3200=14730 | 820 | 100% | 820 | - | 1640 | 3 | 4920 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|----------------------|----------------------|------|------|------|----|------|-----------------------|-------|
| 9 | 1.7.14 से 30.9.14 | 10710+3200= 13910 | 11530+3200= 14730 | 820 | 107% | 877 | - | 1697 | 3 | 5091 |
| 10 | 1.10.14 से 31.12.14 | 11130+3200= 14330 | 11530+3200= 14730 | 400 | 107% | 428 | - | 828 | 3 | 2484 |
| 11 | 1.1.15 से 31.1.15 | 11130+3200= 14330 | 11530+3200= 14730 | 400 | 113% | 452 | - | 852 | 1 | 852 |
| 12 | 1.2.15 से 31.3.15 | 11130+3200= 14330 | 11530+3600= 15130 | 800 | 113% | 904 | - | 1704 | 2 | 3408 |
| 13 | 1.4.15 से 30.6.15 | 11130+3200= 14330 | 11980+3600= 15580 | 1250 | 113% | 1413 | - | 2663 | 3 | 7989 |
| 14 | 1.7.15 से 22.9.15 | 11130+3200= 14330 | 11980+3600= 15580 | 1250 | 119% | 1487 | - | 2737 | 2 माह 22 दिन | 7481 |
| 15 | 23.9.15 से 30.9.15 | 11130+3600= 14730 | 11980+3600= 15580 | 850 | 119% | 1011 | - | 1861 | 8 दिन | 496 |
| 16 | 1.10.15 से 31.12.15 | 11580+3600= 15180 | 11980+3600= 15580 | 400 | 119% | 476 | - | 876 | 3 | 2628 |
| 17 | 1.1.16 से 31.3.16 | 11580+3600= 15180 | 11980+3600= 15580 | 400 | 125% | 500 | - | 900 | 3 | 2700 |
| 18 | 1.4.16 से 30.6.16 | 11580+3600= 15180 | 12450+3600= 16050 | 870 | 125% | 1087 | - | 1957 | 3 | 5871 |
| 19 | 1.7.16 से 31.7.16 | 11580+3600= 15180 | 12450+3600= 16050 | 870 | 127% | 1105 | - | 1975 | 1 | 1975 |
| 20 | 1.8.16 से 30.9.16 | 11580+3600= 15180 | 12450+3600= 16050 | 870 | 127% | 1105 | 43 | 2018 | 2 | 4036 |
| 21 | 1.10.16 से 31.12.16 | 12040+3600= 15640 | 12450+3600= 16050 | 410 | 127% | 521 | 20 | 951 | 3 | 2853 |
| 22 | 1.1.17 से 31.7.17 | 12040+3600= 15640 | 12450+3600= 16050 | 410 | 130% | 533 | 20 | 963 | 7 | 6741 |
| | | | | | | | | | योग | 78840 |

नोट:- माह 8/17 से उक्त कर्मचारी का वेतन संशोधित करके नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे (12040+3600)=15640 कर दिया गया है। फलस्वरूप अधिक एवं गलत भुगतान की गणना 31.7.17 तक की गई है।

उक्त वेतन व बकाया वेतन बिलों के रूप में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 185 दिनांक 4.9.2017 के माध्यम से कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः वेतन व बकाया

वेतन बिलों के रूप में अवधि 1.8.12 से 31.7.17 तक श्री बलदेव सिंह, कनिष्ठ सहायक को किए गए अधिक एवं गलत भुगतान ₹78840 को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 गलत स्थानापन्न के कारण श्री लोक भानू, लिपिक को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹0.20 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान:-

सेवापंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि श्री लोक भानू, लिपिक को कार्यालय पत्र संख्या NPM/Est./1/15-519-524 दिनांक 23.9.15 के अन्तर्गत दिनांक 28.1.15 से कनिष्ठ सहायक के पद पर गलत स्थानापन्न किया गया, जिसके कारण अवधि 1.2.15 से 30.11.16 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹20215 का निम्नानुसार अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

| क्र०सं० | अवधि | देय वेतन (पे+गेड पे) | दिया गया वेतन (पे+गेड पे) | अन्तर | महंगाई भत्ता की दर | महंगाई भत्ता राशि | आई0आर0 5% (1.8.16) | योग | माह | कुल राशि |
|---------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|-----|-----|----------|
| 1 | 1.2.15 से 30.6.15 | 11130+3200 =14330 | 11130+3600 =14730 | 400 | 113% | 252 | - | 852 | 5 | 4260 |
| 2 | 1.7.15 से 30.9.15 | 11130+3200 =14330 | 11130+3600 =14730 | 400 | 119% | 476 | - | 876 | 3 | 2628 |
| 3 | 1.10.15 से 31.12.15 | 11560+3200 =14760 | 11580+3600 =15180 | 420 | 119% | 500 | - | 920 | 3 | 2760 |
| 4 | 1.1.16 से 30.6.16 | 11560+3200 =14760 | 11580+3600 =15180 | 420 | 125% | 525 | - | 945 | 6 | 5670 |
| 5 | 1.7.16 से 31.7.16 | 11560+3200 =14760 | 11580+3600 =15180 | 420 | 127% | 533 | - | 953 | 1 | 953 |
| 6 | 1.8.16 से 30.9.16 | 11560+3200 =14760 | 11580+3600 =15180 | 420 | 127% | 533 | 21 | 974 | 2 | 1948 |
| 7 | 1.10.16 से 30.11.16 | 12010+3200 =15210 | 12040+3600 =15640 | 430 | 127% | 546 | 22 | 998 | 2 | 1996 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|
| | | | | | | | | | योग | 20215 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|

नोट:- दिनांक 1.12.16 से श्री लोक भानू लिपिक को नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे (12010+3200) =15210 निर्धारित कर दिया गया है। फलस्वरूप गलत एवं अधिक भुगतान की गणना दिनांक 30.11.16 तक ही की गई है।

उक्त गलत स्थानापन्न के कारण श्री लोक भानू लिपिक को अवधि 1.2.15 से 30.11.16 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 187 दिनांक 4.9.2017 के माध्यम से कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गयाए लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः गलत स्थानापन्न के कारण श्री लोक भानू लिपिक को अवधि 1.2.15 से 30.11.16 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान ₹20215 को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 श्री लोक भानू लिपिक का कनिष्ठ सहायक के पद पर गलत स्थापन (placement) :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद मैहतपुर में लिपिक के तीन पद सृजित एवम भरे हुए है। नगर परिषद में कार्यरत तीन लिपिकों में से दो लिपिकों श्री बलदेव सिंह व श्री लोक भानू को पत्र संख्या: NPM/est/1/15-519-26 दिनांक 23-09-15 के अन्तर्गत स्थापना (Placement) कनिष्ठ सहायक के पद पर किया गया, जो कि स्थापन नियमों के विपरीत है, क्योंकि स्थापन (Placement) नियमों के अनुसार तीन स्वीकृत लिपिक पदों में से केवल एक लिपिक जो कि वरिष्ठता सूची में सबसे वरिष्ठ हो को ही कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन (placement) किया जा सकता था, क्योंकि पदोन्नति नियमों में पूर्णांकित (Round off) करने का कोई प्राबधान नहीं है। फलस्वरूप एक लिपिक को कनिष्ठ सहायक के रूप में स्थापन करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया, जो कि अनुचित है। स्थापन के अनुचित लाभ के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 183 दिनांक 4-09-17 के अन्तर्गत नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ अंकेक्षण के दौरान ही लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः नगर परिषद में कार्यरत तीन लिपिकों में से एक लिपिक की जगह दो लिपिकों को कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन (Placement) करने को नियमानुसार उचित ठहराया जाए।

यद्यपि यह एक प्रसाशनिक मामला है। अतः परामर्श दिया जाता है कि निदेशक, शहरी विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला -2 से इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश प्राप्त करके अंकेक्षण को यथास्थिति से अवगत करवाया जाए।

17 श्रीमती ऊषा शर्मा, सी०ओ० को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के रूप में ₹1560 का अधिक भुगतान:-

चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की जाँच करने पर गया की माह 6/16 के दौरान वाऊचर संख्या 139 से 144 के अन्तर्गत श्रीमती ऊषा शर्मा, सी०ओ० को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के रूप में ₹14899 का भुगतान किया गया। लेकिन उक्त राशि में से निम्नविवरणानुसार ₹1560 का अधिक भुगतान किया गया है, जो कि नियमानुसार देय नहीं था।

| क्रम संख्या | वाऊचर संख्या | दिनांक | दवाई का नाम जो देय नहीं है | राशि |
|-------------|--------------|----------|----------------------------|------|
| 1 | 139 | 28-06-16 | Tab Stat fit 10 | 360 |
| 2 | 140 | 28-06-16 | Tab Stat fit 10 | 360 |
| 3 | 141 | 28-06-16 | Tab Stat fit 10 | 360 |
| 4 | 142 | 28-06-16 | Tab Stat fit 10 | 360 |
| | | | योग | 1560 |

अतः श्रीमती ऊषा शर्मा, सी०ओ० को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के रूप में किए गए अधिक भुगतान ₹1560 को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 देरी से कार्य निष्पादन करने के फलस्वरूप संविदाकारों से अवार्ड पत्र की शर्तों के अनुसार ₹1.48 लाख के विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली न करना:-

निर्माण/सुरम्मत कार्यों की जाँच करने पर पाया गया कि जिन संविदाकारों द्वारा कार्य को निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण नहीं किया था उनसे अवार्ड पत्र की शर्तों के अनुरूप विलम्ब दण्ड शुल्क वसूला जाना अपेक्षित था, क्योंकि न तो सम्बन्धित संविदाकारों द्वारा समय बढोत्तरी हेतु सक्षम अधिकारी को आवेदन किया था व न ही सम्बन्धित संविदाकारों को समय बढोत्तरी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी व सदन द्वारा प्रदान की गई थी। देरी से कार्य निष्पादित करने के फलस्वरूप सम्बन्धित संविदाकारों से विलम्ब दण्ड शुल्क के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹148490 की हानि हुई है।

| क्र० सं० | कार्य का नाम | संविदाकार का नाम | अवार्ड पत्र संख्या, कार्य व अवार्ड राशि | कार्य समाप्ति की अवधि | माप पुस्तिका संख्या, पेज संख्या व कुल किया गया कार्य | कार्य आबंटन पत्र की शर्त-4 के अनुसार कार्य समाप्ति की अपेक्षित तिथि | कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि | देरी अवधि | विलम्ब दण्ड शुल्क की दर प्रतिदिन | देरी से कार्य समाप्त करने हेतु विलम्ब दण्ड शुल्क | दण्ड शुल्क की अधिकतम सीमा | वसूली योग्य दण्ड शुल्क |
|----------|--|---------------------|---|-----------------------|--|---|--------------------------------|-----------|----------------------------------|--|---------------------------|------------------------|
| 1 | Renovatin of N.P. Office Mehatpur | श्री हरदयाल सिंह | No: NPM/ 548, दिनांक 21-10-13, ₹675000 | 2 माह | 31 पेज 48 ₹225832 | 21-12-13 | 1-09-15 | 617 दिन | 1125 | 694125 | 67500 | 67500 |
| 2 | Construction of community hall near sarai ward no. 5 | श्री रविन्द्र कुमार | No: NPM/ works/14-15 -1-109, दिनांक 17-03-15, ₹668721 | 4 माह | 33 पेज 10 ₹437753 | 1-08-15 | 1-10-15 | 61 दिन | 600 | 36600 | 60000 | 36600 |
| 3 | Construction of sanudayaik Kendra near | श्री रविन्द्र कुमार | No: NPM/ works/15-16/5-600-601, दिनांक | 3 माह | 32 पेज 71 ₹224260 | 5-02-16 | 13-06-16 | 119 दिन | 210 | 24990 | 21000 | 21000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---|-------|-------------------|---------|----------|--------|-----|-------|-------|--------|
| | Gurdwara ward no. - 5 | | 21-10-15, ₹211508 | | | | | | | | | |
| 4 | Construction of walking track in municipal park ward no. 6 | श्री रविन्द्र कुमार | No: MCM/works/16-17/4/617, दिनांक 19-09-16, ₹234496 | 3 माह | 33 पेज 72 ₹498326 | 4-01-17 | 19-02-17 | 46 दिन | 230 | 10580 | 23000 | 10580 |
| 5 | Coverage of drain from Patwarkhana towards H/O Shadi Lal Mohalla Harijana ward no-8 | श्री अशोक कुमार | No: MCM/works/16-17/4/621, दिनांक 19-09-16, ₹305498 | 3 माह | 32 पेज 92 ₹131712 | 4-01-17 | 15-02-17 | 42 दिन | 305 | 12810 | 30500 | 12810 |
| | | | | | | | | | | | योग | 148490 |

उक्त देरी से कार्य निष्पादित करने के कारण संविदाकारों से विलम्ब दण्ड शुल्क के रूप में ₹148490 की वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 190 दिनांक 4-09-17 के अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ अंकेक्षण के दौरान लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः देरी से कार्य निष्पादित करने के कारण संविदाकारों से विलम्ब दण्ड शुल्क के रूप में ₹148490 की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व विलम्ब दण्ड शुल्क न वसूलने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। कार्य आबंटन पत्र की शर्तों के अनुसार विलम्ब दण्ड शुल्क की वसूली न करने के कारण सम्बन्धित संविदाकारों को ₹148490 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली सम्बन्धित संविदाकारों अथवा ऐसा न होने की अवस्था में सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

- 19 हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन खलीनी, शिमला से प्रिंटर का क्रय न करने बारे:-
(क) जाँच के दौरान पाया गया कि वाऊचर संख्या: 535 दिनांक 2-03-17 को प्रिंटर लेज़र जेट क्रय करने पर ₹14800 का भुगतान निम्नानुसार किया गया।

| फर्म की विवरण | सामान का विवरण | मात्रा | दर | मूल्य |
|--|-------------------------------------|--------|-------|-------|
| कंप्यूटर्स मॉल भटोली रोड मैहतपुर, जिला ऊना (हि० प्र०) | प्रिंटर (कैनन लेज़र जेट) MFP4750 | 1 | 14800 | 14800 |

उपरोक्त उल्लेखित प्रिंटर (कैनन लेज़र जेट) का क्रय निविदाओं के आधार पर किया गया दर्शाया गया है। अभिलेख में तीन निविदाएँ सलग्न की गई हैं। लेकिन उक्त प्रिंटर का क्रय हिमाचल प्रदेश राज्य

इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन खलीनी, शिमला से किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त प्रिंटर का क्रय हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन खलीनी, शिमला से क्रय न करके स्थानीय बाज़ार से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन खलीनी, शिमला की दरों की क्रय दरों से तुलना करने उपरान्त किसी भी अधिक भुगतान की अवस्था में अधिक भुगतान की गई राशि की बसूली उतरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्बन्धित उतरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्रीज से लोहे के बैंचों का क्रय न करने बारे:-

(क) जाँच के दौरान पाया गया कि वाऊचर संख्या: 296 दिनांक 6-10-15 को लोहे के बैंच क्रय करने पर ₹ 113750 का भुगतान निम्नानुसार किया गया।

| क्रम संख्या | फर्म की विवरण | सामान का विवरण | मात्रा | दर | मूल्य |
|-------------|--|----------------|--------|------------|--------|
| 1 | हिमालय इंजीनियरिंग वर्क्स ढलियारा, जिला काँगड़ा (हि० प्र०) | लोहे के बैंच | 10 | 10000 | 100000 |
| | | | | वैट 13.75% | 13750 |
| | | | | कुल योग = | 113750 |

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाऊचर की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं जिनका निराकरण किया जाए।

i) उपरोक्त उल्लेखित लोहे के बैंचों का क्रय हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्रीज से न करके हिमालय इंजीनियरिंग वर्क्स ढलियारा, जिला काँगड़ा (हि० प्र०) से किया गया है जबकि उक्त लोहे के बैंचों का क्रय हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्रीज से किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त लोहे के बैंचों को हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्रीज से क्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्रीज की दरों की क्रय दरों से तुलना करने उपरान्त किसी भी अधिक भुगतान की अवस्था में अधिक भुगतान की गई राशि की बसूली का उतरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्बन्धित उतरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ii) उपरोक्त उल्लेखित बिल / वाऊचर में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि उक्त प्राप्त किया गया सामान साइज़, माप (specification) एवं गुणवत्ता के अनुसार सही है, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए।

21 आवश्यक एवं निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने के बिना ₹1.85 लाख के बिजली के सामान का क्रय:-

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न वाऊचरों के अन्तर्गत, विभिन्न मासों के दौरान मैसर्ज एन० के० ट्रेडिंग कंपनी मैहतपुर, जिला ऊना (हि० प्र०) को बिजली का सामान का क्रय करने पर निम्न विवरणानुसार ₹185000 का भुगतान किया गया।

| क्रम संख्या | वाऊचर संख्या/ दिनांक | बिल संख्या/ दिनांक | सामान का विवरण | मात्रा | दर | मूल्य |
|-------------|----------------------|--------------------|---|---|--|---|
| 1 | 321 / 20-10-15 | 450 / 1-10-15 | पाइप ब्रैकेट फॉर स्ट्रीट लाईट फिक्सचर | 20 | 120 | 2400 |
| 2 | 322 / 20-10-15 | 418 / 1-10-15 | एस० वी० सी० 150 वाट एस० वी० सी० चोक 150 वाट एस० वी० सी० चोक 70 वाट | 20 10 10 | 480 1080 850 | 9600 10800 8500 |
| | | | | | योग | 28900 |
| 3 | 323 / 20-10-15 | 420 / 1-10-15 | पी० वी० सी० एल्युमीनियम केबल 6 एम० एम० टयूब रोड 40 वाट टयूब चोक 40 वाट टयूब साइड होल्डर टयूब स्टार्टर पी० वी० सी० इंसुलेशन टेप इग्नेटर फॉर एस० वी० सी० | 6 रोल 200 50 30 100 20 20 | 1250 38.50 185 9.50 9.5 10 150 | 7500 7700 9250 285 950 200 3000 |
| | | | | | योग | 28885 |
| 4 | 324/ 20-10-15 | 439/ 28-09-15 | स्ट्रीट लाईट टयूब फिक्सचर 40 वाट | 15 | 1580 | 23700 |
| 5 | 325/ 20-10-15 | 444/ 29-9-15 | स्ट्रीट लाईट टयूब फिक्सचर 40 वाट | 15 | 1580 | 23700 |
| 6 | 326/ 20-10-15 | 448/ 30-9-15 | स्ट्रीट लाईट टयूब फिक्सचर 40 वाट | 10 | 1580 | 15800 |
| 7 | 327/ 21-09-15 | 419/ 21-9-15 | मीटर बॉक्स एम० सी० वी० ओ एक्स 2 वे एम० सी० वी० 16 एम्पीयर सी० एफ० एल० 18 वाट किट-केट 100 एम्पीयर सी० एफ० एल० 23वाट फ्लेक्सिबल तार 5"“ | 1 1 2 10 3 2 40 मीटर | 250 85 125 180 185 230 12 | 250 85 250 1800 555 460 480 |
| | | | | | योग | 3880 |
| 8 | 328/ 28-10-15 | 456/ 5-10-15 | सीलिंग सरफेस लाईट 124 वाट | 1 | 2800 | 2800 |
| 9 | 189/ 30-06-16 | 132/ 10-05-16 | एस० वी० सी० 150 वाट एस० वी० सी० चोक 70 वाट एस० वी० सी० चोक 150वाट | 10 10 10 | 480 850 1080 | 4800 8500 10800 |

| | | | | | | |
|----|------------------|------------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| | | | ट्यूब स्टार्टर | 100 | 9.50 | 950 |
| | | | ट्यूब रॉड 40 वाट | 100 | 38.50 | 3850 |
| | | | | | योग | 28900 |
| 10 | 190/ 30-06-16 | 133/ 10-05-16 | पी० वी० सी० तार 90 मीटर | 4 रोल | 1250 | 5000 |
| | | | ट्यूब चोक 40 वाट | 30 | 185 | 5550 |
| | | | ट्यूब साईड होल्डर | 40 | 9.50 | 380 |
| | | | एम० सी० वी० डी० पी० 63 | 5 | 520 | 2600 |
| | | | एम्पीयर | | | |
| | | | | | योग | 13530 |
| 11 | 191/ 30-06-16 | 134/ 10-05-16 | एस० वी० सी० 250 वाट | 5 | 520 | 2600 |
| | | | एस० वी० सी० चोक 250 वाट | 5 | 1375 | 6875 |
| | | | | | योग | 9475 |
| 12 | 192/ 30-06-16 | 148/ 17-06-16 | सीलिंग पंखा ओरिएंट | 1 | 1550 | 1550 |
| | | | सी०एफ०एल० 18 वाट | 2 | 180 | 360 |
| | | | किट-केट 13 एम्पीयर | 2 | 120 | 240 |
| | | | किट-केट16 एम्पीयर | 2 | 185 | 370 |
| | | | सी० एफ० एल० 23 वाट | 2 | 230 | 460 |
| | | | | | योग | 2980 |

क्रम संख्या 1 से 12 तक का कुल योग = 185000

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 12 पर उल्लेखित क्रय किए गए ₹185000 बिजली सामान को क्रय करने से पूर्व आवश्यक एवम निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई है अर्थात निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि चहेती फर्म को अप्रत्याशित लाभ देने के प्रयोजन से बिना बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाए, उक्त सामान का क्रय उच्च दरों पर किया गया है। अतः उक्त बिजली के सामान को क्रय करने से पूर्व आवश्यक एवम निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

22 ₹0.18 लाख के टी० डी० एस० की वसूली न करना

आयकर की धारा 194 सी में विहित प्रावधानों के अनुरूप वितीय वर्ष में संविदाकारों अथवा फर्म को किए गए ₹30000 से अधिक के एकल भुगतान व ₹75000 से अधिक के सकल भुगतान पर 2% की दर से टी० डी० एस० काटा जाना अनिवार्य था व धारा 194 (सी) किसी भी कार्य हेतु किए गए सभी प्रकार के अनुबन्धों चाहे वे लिखित हों या फिर मौखिक हों पर लागू होती है जैसे की विज्ञापन, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट लेबर सेवा कार्य व सामान इत्यादि का अनुबन्ध। आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों की अनुपालना न करते हुए नगर परिषद द्वारा अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान श्री गुरुदत्त सफाई ठेकेदार से निम्नानुसार ₹18480 की टी० डी० एस० की कटौती नहीं की गई है।

| अवधि | ठेका राशि (प्रति माह) | महीनों की संख्या | भुगतान की गई राशि | 2% टी० डी० एस० की राशि |
|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 4/15 से 3/16 | 35000 | 12 | 420000 | 8400 |
| 4/16से 3/17 | 42000 | 12 | 504000 | 10080 |
| | | | योग 567000 | 18480 |

अतः उक्त टी० डी० एस० की ₹18480 की सम्बन्धित संविदाकार से कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्पूर्ण राशि की उचित स्रोत से वसूली उपरान्त सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 निर्धारित दर से कम दर पर टेंडर बिक्री करने के कारण ₹0.24 लाख की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या : PBW (B) -14(8)2004, दिनांक 24-02-2012 के अन्तर्गत ₹10 लाख तक के कार्यों हेतु टेंडर की लागत / बिक्री मूल्य ₹350 निर्धारित किया गया था। नगर परिषद द्वारा उपरोक्त पत्र के अन्तर्गत टेंडर की बिक्री हेतु निर्धारित राशि से कम राशि पर टेंडर बिक्री करने के कारण नगर परिषद को ₹24450 की हानि हुई। यह प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 194 दिनांक 11-09-2017 के अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मैहतपुर के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः निर्धारित दर से कम दर पर टेंडर बिक्री के कारण हुई हानि ₹24450 का उतरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि की वसूली उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। निर्धारित दर से कम दर पर टेंडर बिक्री करने के कारण ₹24450 की हुई वित्तीय हानि का विवरण निम्नानुसार है।

| क्रम संख्या | कार्य का नाम | टेंडर विक्रय की तिथि | सरकार द्वारा निर्धारित दर (प्रति टेंडर) | बिक्री किए गए टेंडर की दर (प्रति टेंडर) | अन्तर | बिक्री किए गए टेंडरों की संख्या | राशि |
|-------------|---|----------------------|---|---|-------|---------------------------------|------|
| 1 | Improvement of street near H/O Jagmohan on back of Truck Union & near Rakesh Kumari in Professor colony ward no - 2 | 22-07-15 | 350 | 200 | 150 | 5 | 750 |
| 2 | Improvement of street from tarkhana road towards H/O Harish Padha ward no-3 | 22-07-15 | 350 | 200 | 150 | 6 | 900 |
| 3 | Improvement of drainage system from H/O Dr. Kamal towards H/O Kapil Bhardwaj ward no-3 | 22-07-15 | 350 | 200 | 150 | 7 | 1050 |

| | | | | | | | |
|----|--|----------|-----|-----|-----|---|------|
| 4 | Improvement of drainage system from H/O Kapil Bhrdwaj towards Dehlan road ward no -3 | 22-07-15 | 350 | 200 | 150 | 7 | 1050 |
| 5 | Improvement of drainage system from H/O Ram Nath Nambardar towards H/O Balbir Chakki ward no -3 | 22-07-15 | 350 | 200 | 150 | 5 | 750 |
| 6 | Improvement of drainage system near community centre ward no 4 | 22-07-15 | 350 | 200 | 150 | 5 | 750 |
| 7 | Maintenance of sarai ward no -5 | 22-07-15 | 350 | 200 | 150 | 4 | 600 |
| 8 | Improvement of street from H/O Fateh Singh towards H/O Lakshman singh & towards H/O Karam singh ward no- 5 | 22-07-15 | 350 | 200 | 150 | 1 | 150 |
| 9 | Improvement of street from H/O Ram Kumar towards H/O Roshan Lal & H/O Vipin towards H/O Ram Pal ward no- 6 | 22-07-15 | 350 | 200 | 150 | 3 | 450 |
| 10 | Improvement of street from H/O Mangat Ram towards H/O Data Ram ward no- 6 | 22-07-15 | 350 | 200 | 150 | 1 | 150 |
| 11 | Improvement of drainage system from H/o Soma Devi towards H/O Anil Kumar Timpfu ward n -7 | 22-07-15 | 350 | 200 | 150 | 4 | 600 |
| 12 | Construction of drainage system near H/O Ramesh chand Mohalla Bhardwaj ward no. 7 | 22-07-15 | 350 | 200 | 150 | 3 | 450 |
| 13 | Completion of Maharishi Valmiki mandir ward no – 8 | 22-07-15 | 350 | 200 | 150 | 3 | 450 |
| 14 | Pavement of street from H/O Swaran Singh & near H/O | 22-07-15 | 350 | 200 | 150 | 3 | 450 |

| | | | | | | | |
|----|--|----------|-----|-----|-----|---|------|
| 15 | Basudev ward no- 9 Completion of community centre ward no -9 | 22-07-15 | 350 | 200 | 150 | 5 | 750 |
| 16 | Improvement of street from H/O moti lal towards H/O Prem Batra ward no-2 | 11-09-15 | 350 | 200 | 150 | 9 | 1350 |
| 17 | c/o drain from H/o Mohinder Pal towards main nallah Mohalla prashar ward no-3 | 11-09-15 | 350 | 200 | 150 | 4 | 600 |
| 18 | Improvement of drainage system from H/O Satpal towards basdehra gate ward no - 3 | 11-09-15 | 350 | 200 | 150 | 3 | 450 |
| 19 | Improvement of drainage system from H/O kapil bhardwaj towards Dehlan road phase no 2 ward bo-3 | 11-09-15 | 350 | 200 | 150 | 4 | 600 |
| 20 | Development of park near nagar panchayat office c/o toilet in sarai complex ward no-4 | 11-09-15 | 350 | 200 | 150 | 8 | 1200 |
| 21 | Improvement from street from H/O Dr. Verma towards H/O Madan Lal soni & near mata mandir in ward no -5 | 11-09-15 | 350 | 200 | 150 | 7 | 1050 |
| 22 | Improvement from street from H/O Fateh singh towards H/O Lakshman & towards H/O Karam Singh in ward no -5 | 11-09-15 | 350 | 200 | 150 | 6 | 900 |
| 23 | Improvement from street from H/O Bhisam singh towards H/O Data Ram in ward no -6 | 11-09-15 | 350 | 200 | 150 | 3 | 450 |
| 24 | Improvement from street from H/O Mangat Ram towards H/O Data Ram in ward no -6 | 11-09-15 | 350 | 200 | 150 | 3 | 450 |
| 25 | Improvement of drainage system from H/o Soma Devi | 11-09-15 | 350 | 200 | 150 | 5 | 750 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------|-----|-----|-----|-------|-------|
| | towards H/o Anil Kumar Thimpu phase no-2, ward no - 7 | | | | | | |
| 27 | Pavement of street from H/O Mohan Lal towards H/O Ashwani Kaushal ward no -7 | 11-09-15 | 350 | 200 | 150 | 7 | 1050 |
| 28 | Construction of approach road from Raj- mehatpur raod towards hadda rodi (filling work) ward no-8 | 11-09-15 | 350 | 200 | 150 | 6 | 900 |
| 29 | Improvement from street from H/o Ram Prashad ward no -9 | 11-09-15 | 350 | 200 | 150 | 4 | 600 |
| 30 | Improvement of drainage system and renovation of municipal council office mehatpur Basdehra | 12-04-16 | 350 | 200 | 150 | 5 | 750 |
| 31 | Construction of Urinal Block near G.S.S.S. Basdehra Ward No. 9 | 12-04-16 | 350 | 200 | 150 | 4 | 600 |
| 32 | Maintenance of toilet block near shopping complex ward no-2 | 12-04-16 | 350 | 200 | 150 | 5 | 750 |
| 33 | Improvement of drainage system from H/O K.D. Sharma towards petrol pump ward no – 3 | 12-04-16 | 350 | 200 | 150 | 3 | 450 |
| 34 | Improvement of drainage system from H/O prasad towards patwar khana ward no – 4 | 12-04-16 | 350 | 200 | 150 | 5 | 750 |
| 35 | Painting of street light pool in M.C. Area | 12-04-16 | 350 | 200 | 150 | 3 | 450 |
| 36 | Pavement of street from H/o Bhag Singh towards H/o Pawanjeet ward no-9 | 12-04-16 | 350 | 200 | 150 | 4 | 600 |
| | | | | | | योग = | 24450 |

24 संस्थापना पर ₹91.18 लाख का अनाधिकृत व्यय किया जाना :-

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53(1) (ग) के अनुसार “संस्थापन पर व्यय” परिषद के कुल व्यय से एक तिहाई भाग से अधिक नहीं किया जाने का प्रावधान है। नगर परिषद के व्यय की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान स्वयं स्रोतों से किए गए कुल व्यय ₹4903881 में से ₹10752196 संस्थापना पर व्यय उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत किया गया अर्थात् ₹9117569 का अनाधिकृत व्यय किया गया। जिसके विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अतः हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) (ग) के प्रावधानों के विपरीत संस्थापना पर अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्रावधानों के विपरीत अनाधिकृत तरीके से किया गए ₹9117569 के व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित किया जाए।

| Sr. No. | Period | Total Expenditure From own sources | Expenditure on Establishment | % of establishment expenditure to the total Expenditure | Admissible Expenditure on Establishment i.e. 1/3 of Total Exp. | Irregular Expenditure on Establishment |
|---------|---------|------------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2015-16 | 1659147 | 5721920 | 344.87% | 553049 | 5168871 |
| 2 | 2016-17 | 3244734 | 5030276 | 155.02% | 1081578 | 3948698 |
| | Total | 4903881 | 10752196 | | 1634627 | 9117569 |

25 शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियों तैयार न करना :-

जांच के दौरान पाया कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आय ₹19777265, 26546215 व व्यय ₹19957692.7, ₹17356739.93 किया गया दर्शाया है। लेकिन आय व व्यय की मददार खाताबहियां तैयार नहीं की गई थी शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियां तैयार न करने के कारण यह पुष्टि नहीं की जा सकती, कि वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान जिस शीर्ष के अन्तर्गत जितनी आय प्राप्त की गई दर्शाई गई वास्तव में उस शीर्ष के अन्तर्गत उतनी ही आय प्राप्त की गई है व जिस शीर्ष के अन्तर्गत जितना व्यय दर्शाया गया है वास्तव में उस शीर्ष के अन्तर्गत उतना ही व्यय किया गया है। अतः शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियां तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियाँ तैयार करने उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

26 दिनांक 31-03-17 तक भविष्य निधि, कर्मचारी की एवं नियोक्ता अंशदान की ₹35.48 लाख को पेंशन एवं उपदान निधि की रोकड़ बही में दर्ज करने बारे:-

पेंशन एवम उपदान निधि की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया की दिनांक 31-03-17 तक नगर परिषद मैहत्पुर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के भविष्य निधि, कर्मचारी की एवं नियोक्ता अंशदान की ₹3548128 को पेंशन एवम उपदान निधि की रोकड़ बही में दर्ज किया गया है, जबकि उक्त राशि को भविष्य निधि, कर्मचारी की एवम नियोक्ता अंशदान की खाता बही में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में दर्ज करना अपेक्षित था। यदपि उक्त राशि को पेंशन एवं

उपदान निधि की वित्तीय स्थिति में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः उक्त ₹3548128 को पेंशन एवं उपदान निधि की रोकड़ बही से आहरित करके भविष्य निधि, कर्मचारी की एवं नियोक्ता अंशदान की खाताबही में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 भविष्य निधि, कर्मचारी की एवं नियोक्ता अंशदान राशियों को प्रति माह सम्बन्धित खातों में जमा न करवाकर पेंशन एवं उपदान निधि में जमा करना :-

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 10/15 और 6/16 के बेतन बिलों की जांच करने पर पाया गया कि भविष्य निधि, कर्मचारी अंशदान के रूप में कर्मचारियों के वेतन बिलों से प्रतिमाह कटौती की गई थी, लेकिन उक्त कटौती को प्रति माह कर्मचारियों के खातों में जमा न करवाकर पेंशन एवं उपदान खाते में जमा करवाया गया था। अतः कर्मचारी भविष्य निधि व कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान की राशियों को प्रति माह सम्बन्धित खातों में जमा न करवाकर पेंशन एवं उपदान निधि में जमा करवाना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता होने के साथ साथ नियमों की अवहेलना है। अतः उक्त भविष्य निधि, कर्मचारी एवम नियोक्ता अंशदान व पेंशन एवम उपदान अंशदान की राशियों को प्रति माह सम्बन्धित खातों में जमा न करवाकर पेंशन एवं उपदान निधि में जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रति माह भविष्य निधि, कर्मचारी एवम नियोक्ता अंशदान व पेंशन एवम उपदान अंशदान की राशियों को सम्बन्धित खातों में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 श्री लोक भानू लिपिक को ₹1.50 लाख का कर्मचारी भविष्य निधि से अग्रिम प्रदान करने बारे:-

पेंशन एवं उपदान निधि की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि वाऊचर संख्या – 2 दिनांक 24-06-16 द्वारा श्री लोक भानू, लिपिक को ₹150000 का कर्मचारी भविष्य निधि से अग्रिम प्रदान किया गया जबकि नियमों में कर्मचारी भविष्य निधि से अग्रिम प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप उक्त अग्रिम निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त गई अग्रिम प्रदान की राशि की वसूली अवलिम्ब सम्बन्धित कर्मचारी से ब्याज सहित की जानी सुनिश्चित की जाए तदनुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में उक्त प्रकार के अग्रिम प्रदान करने से परिहार किया जाए।

29 अन्य:-

(क) अधिक व्यय ₹1413

जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार बिजली बिलों का देय तिथि 23-06-16 के बाद दिनांक 25-6-16 को भुगतान करने के कारण ₹1413 का अधिक व्यय किया गया है।

| क्रम संख्या | बिल संख्या | देय राशि | विलम्ब शुल्क के साथ भुगतान की गई राशि | अन्तर |
|-------------|-------------|----------|---------------------------------------|-------|
| 1 | SL110000001 | 12207 | 12429 | 222 |
| 2 | SL110000002 | 2025 | 2062 | 37 |
| 3 | SL110000003 | 2487 | 2532 | 45 |

| | | | | |
|----|-------------|-------|-------|------|
| 4 | SL110000004 | 7363 | 7599 | 236 |
| 5 | SL110000005 | 8983 | 9146 | 163 |
| 6 | SL110000006 | 1698 | 1729 | 31 |
| 7 | SL110000007 | 4823 | 4911 | 88 |
| 8 | SL110000008 | 3372 | 3433 | 61 |
| 9 | SL110000009 | 9989 | 10171 | 182 |
| 10 | SL110000010 | 2461 | 2506 | 45 |
| 11 | SL110000011 | 579 | 590 | 11 |
| 12 | SL110000012 | 2625 | 2673 | 48 |
| 13 | SL110000014 | 13098 | 13337 | 239 |
| 14 | SLCN50511 | 173 | 176 | 3 |
| 15 | BA315000127 | 115 | 117 | 2 |
| | कुल योग | 71998 | 73411 | 1413 |

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाऊचर की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं, जिनका निराकरण किया जाए।

i) बिजली बिलों के विलम्ब शुल्क के अनुसार भी वास्तविक योग ₹73411 बनता है, जबकि ₹73445 का भुगतान किया गया है। फलस्वरूप बिजली बोर्ड को 34 (73445-73411) का अधिक भुगतान किया गया है। अतः उक्त ₹34 के अधिक भुगतान को आगामी बिजली बिलों में समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ii) उपरोक्त बिजली बिलों का यदि देय समय पर भुगतान किया जाता तो ₹1413 (73411-71998) के अधिक भुगतान से बचा जा सकता था। अतः उक्त बिजली बिलों का समय पर भुगतान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व समय पर भुगतान न करने के कारण किए गए अधिक भुगतान ₹1413 हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने उपरान्त उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹700 का अधिक भुगतान:-

वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि माह 6/2016 के दौरान दिनांक 1-06-16 को निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों को दिए गए वेतन माह मई भुगतान जून के अनुसार वास्तविक योग ₹96130 की जगह रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या - 259 में ₹96830 दर्ज किया गया है व तदोपरान्त दिनांक 2.6.2016 को चैक संख्या 178500 भी ₹96830 का जारी किया गया। फलस्वरूप ₹700 (96830-96130) का अधिक भुगतान किया गया। अतः उक्त अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

| क्रम संख्या | कर्मचारी का नाम | राशि |
|-------------|------------------|-------|
| 1 | श्री मदन कुमार | 39682 |
| 2 | श्री बलदेव सिंह | 31174 |
| 3 | श्री दिनेश कुमार | 25274 |
| | योग = | 96130 |

(ग) रिवोल्विंग कुर्सी का क्रय दर संविदा प्राप्त फर्म से क्रय न करना:-

जाँच के दौरान पाया गया कि वाऊचर संख्या 146 दिनांक 28-06-16 द्वारा मैजर्स सेठ इंटरप्राइजेज नंगल टाउनशिप, जिला रोपड़ (पंजाब) से एक रिवोल्विंग कुर्सी क्रय करने पर ₹6500 का भुगतान किया गया था।

उक्त व्यय वाऊचर की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ हैं, जिनका निराकरण किया जाए।

(i) उपरोक्त उल्लेखित रिवोल्विंग कुर्सी का क्रय निविदाओं के आधार पर किया गया। अभिलेख में तीन निविदाएँ सलग की गई हैं जबकि उक्त सामान का क्रय दर संविदा प्राप्त फर्म से किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त रिवोल्विंग कुर्सी का क्रय दर संविदा प्राप्त फर्म से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दर संविदा प्राप्त फर्म की दरों की क्रय दरों से तुलना करने उपरान्त किसी भी अधिक भुगतान की अवस्था में अधिक भुगतान की वसूली का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित रिवोल्विंग कुर्सी का क्रय हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के बाहर नंगल (पंजाब) से किया गया व सभी तीन निविदाएँ नंगल (पंजाब) से प्राप्त की गई हैं, जबकि उक्त सामान हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आसानी से क्रय किया जा सकता था। अतः उक्त रिवोल्विंग कुर्सी का क्रय हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के बाहर नंगल (पंजाब) से क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

घ) उचित बिल के बिना लैटर पैड व सादे कागज पर ₹6675 भुगतान करने बारे:-

जाँच के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न वाऊचरों के अन्तर्गत, विभिन्न दुकानदारों को ₹6675 का भुगतान लैटर पैड व सादे कागज पर किया गया।

| क्रम संख्या | वाऊचर संख्या व दिनांक | फर्म का नाम व पता | मद का विवरण | राशि | बिल का प्रकार (Remarks) |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------|
| 1 | 171/ 30-06-16 | तारा चन्द एंड सन्ज, मैहतपुर | टोकरी | 3000 | सादे कागज पर |
| 2 | 172/ 30-06-16 | बली, आईस डिपो, मैहतपुर | बर्फ सिल्ली | 300 | सादे कागज पर |
| 3 | 175/ 30-06-16 | राना इलेक्ट्रिकल्स, मैहतपुर | किराये पर लिया गया सामान पंखे व साउंड | 1500 | लैटर पैड |
| 4 | 175/ 30-06-16 | हैप्पी जनरल स्टोर, | बिस्कुट | 1875 | सादे कागज पर |

बसदेहडा, मैहतपुर

योग =

6675

उपरोक्त उल्लेखित दुकानदारों से उक्त व्ययों से सम्बन्धित उचित बिल प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त व्यय से सम्बन्धित उचित बिल सम्बंधित फर्मों से प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ड) बिल/वाऊचर को आहरण एवम संवितरण अधिकारी से भुगतान हेतु पारित न करवाना:-

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वाऊचर संख्या – 193 दिनांक 30-06-16 को पोहू लाल, संविदाकार को “construction of car parking near Rehan Basera (SH:- Providing and fixing MS grill)” के कार्य हेतु ₹87053 का भुगतान किया गया है। लेकिन उक्त बिल/वाऊचर को सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित नहीं किया गया है। अतः उक्त बिल/वाऊचर को आहरण एवं संवितरण अधिकारी से भुगतान हेतु पारित न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त बिल/वाऊचर को सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी से भुगतान हेतु पारित करवाने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(च) राशि प्राप्ति की रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

(i) जाँच के दौरान पाया गया की वाऊचर संख्या 163 दिनांक 30-6-16 द्वारा बैंक संख्या 178527 के अन्तर्गत एस आर टैक्स कंसलटेंट खाता संख्या 652027359 को आयकर की ₹82263 हस्तांतरित की गई है, लेकिन उक्त राशि को आयकर विभाग में जमा करवाने की रसीद/रिटर्न अभिलेख में मौजूद नहीं है। अतः सम्बन्धित कार्यालय में राशि जमा करवाने की रसीद/ रिटर्न प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) जाँच के दौरान पाया गया की वाऊचर संख्या 165 दिनांक 30-6-16 द्वारा बैंक संख्या 178528 के अन्तर्गत ₹26891 व बैंक संख्या 178529 के अन्तर्गत ₹3 कुल ₹26894 श्रमकर के रूप में लेबर सेस कलेक्टर (लेबर ऑफिसर ऊना) में जमा करवाई गई दर्शाई है, लेकिन उक्त राशि को श्रम कर विभाग में जमा करवाने की रसीद अभिलेख में मौजूद नहीं है। अतः सम्बन्धित कार्यालय में राशि जमा करवाने की रसीद प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए

(छ) कम व्यय दर्ज करने बारे:-

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वाऊचर संख्या 103 दिनांक 4-06-16 द्वारा श्री वीरेंदर कुमार, लिपिक को माह 4/16 व 5/16 के वेतन के भुगतान के रूप में ₹31776 का भुगतान किया गया व बैंक संख्या 755673 दिनांक 4-06-16 को ₹31776 का बैंक निर्गमित किया गया लेकिन दिनांक 4-06-16 को रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 259 में ₹31176 का व्यय दर्ज किया गया। फलस्वरूप ₹600 कम व्यय दर्ज किया गया। अतः रोकड़ बही के व्यय पक्ष में ₹600 का व्यय दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ज) गणना में त्रुटि के कारण श्री पट्ट लाल, संविदाकार को ₹172 का अधिक एवं गलत भुगतान:-

कार्य का नाम :- c/o Parking near Rehan Basera Building (SH:- Alteration & addition of work)

संविदाकार का नाम :- श्री पहु लाल

अवार्ड पत्र संख्या :- NP/works/359 दिनांक 11-07-12

प्रविष्टि की तिथि:- 10-05-16

माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या :- 34 व पृष्ठ 10 व 12

| क्रम संख्या | मद संख्या | मद का नाम | वास्तविक मात्रा | दर्शाई गई मात्रा | अन्तर | दर | अधिक भुगतान |
|-------------|-----------|---|--|--|----------|------|-------------|
| 1 | 1 | Kota store slab flooring 20mm average thick bar element motor 1:4 | $\frac{1 \times 6 + 4.03 \times 5.55}{2}$ =2.758 m2 | $\frac{1 \times 6 + 4.03 \times 5.55}{2}$ =2.923 m2 | 0.165 m2 | 1045 | 172 |

उपरोक्त उल्लेखित कार्य की जांच करने पर पाया गया कि गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार श्री पोलू लाल को ₹172 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा अधिक भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी / कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(झ) ₹3 कम ब्याज दर्ज करने बारे:-

जाँच के दौरान पाया गया कि एस० बी० आई० खाता संख्या 1135776885 के अन्तर्गत माह 12/15 से 3/17 के दौरान ₹4295 का ब्याज प्राप्त किया गया, लेकिन दिनांक 31-03-17 को रोकड़ बही के आय पक्ष में ₹4292 का ब्याज दर्ज किया गया। फलस्वरूप ₹3 कम ब्याज दर्ज किया गया। अतः उक्त कम दर्ज किए गए ब्याज को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। (ज)

बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करना:-

नगर परिषद द्वारा व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य है, ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय किया जा सके। अतः वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 की बजट रजिस्टर तैयार किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्ययों को स्वीकृत बजट अनुसार ही व्यय किया गया है अथवा नहीं। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ट) कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर तैयार न करने बारे:-

जांच के दौरान पाया गया की नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 का कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 का कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर तैयार करने उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ठ) सावधिक निवेश रजिस्टर तैयार न करना:-

जांच के दौरान पाया गया की वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को सावधिक निवेश रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है जबकि वित्तीय वर्ष

2015-16 व 2016-17 में सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को सावधिक निवेश रजिस्टर में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में सावधिक निवेश रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- 30 लघु आपति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई है ।
31 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता / -
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल०ए०)एच(2)सी(15)5-65 / 78 खण्ड-3-240'9-2410 दिनांक 06.04.2018
शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत 1 कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मैहतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 की पैरा संख्या 1 (ग) पर वर्णित गम्भीर अनियतताओं पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता / -
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

परिशिष्ट - (क) पैरा संख्या -1 (ग) से संदर्भित

गत अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची :-

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1980 से 3/1981

- | | | |
|----|----------------|----------|
| 1) | पैरा – 11 (सी) | अनिर्णीत |
| 2) | पैरा – 13 (ए) | अनिर्णीत |

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1981 से 3/1983

- | | | |
|----|----------------|----------|
| 1) | पैरा – 9 | अनिर्णीत |
| 2) | पैरा – 10 (ए) | अनिर्णीत |
| 3) | पैरा – 10 (बी) | अनिर्णीत |
| 4) | पैरा – 10 (सी) | अनिर्णीत |
| 5) | पैरा – 14 (बी) | अनिर्णीत |
| 6) | पैरा – 16 (ए) | अनिर्णीत |
| 7) | पैरा – 16 (बी) | अनिर्णीत |
| 8) | पैरा – 16 (सी) | अनिर्णीत |

(3) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1987 से 3/1991

- | | | |
|-----|---------------|----------|
| 1) | पैरा – 5 (क) | अनिर्णीत |
| 2) | पैरा – 5 (ख) | अनिर्णीत |
| 3) | पैरा – 5 (ग) | अनिर्णीत |
| 4) | पैरा – 6 (ग) | अनिर्णीत |
| 5) | पैरा – 6 (घ) | अनिर्णीत |
| 6) | पैरा – 6 (ङ.) | अनिर्णीत |
| 7) | पैरा – 6 (छ) | अनिर्णीत |
| 8) | पैरा – 7 (ख) | अनिर्णीत |
| 9) | पैरा – 9 (क) | अनिर्णीत |
| 10) | पैरा – 9 (ख) | अनिर्णीत |
| 11) | पैरा – 10 (क) | अनिर्णीत |
| 12) | पैरा – 10 (ख) | अनिर्णीत |
| 13) | पैरा – 10 (ग) | अनिर्णीत |
| 14) | पैरा – 10 (घ) | अनिर्णीत |

| | |
|-------------------|----------|
| 15) पैरा – 11 | अनिर्णीत |
| 16) पैरा – 12(क) | अनिर्णीत |
| 17) पैरा – 12 (ख) | अनिर्णीत |
| 18) पैरा – 13 | अनिर्णीत |
| 19) पैरा – 15 (क) | अनिर्णीत |
| 20) पैरा – 15 (ख) | अनिर्णीत |
| 21) पैरा – 16 | अनिर्णीत |

(4) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1991 से 3/1994

| | |
|--------------------|----------|
| 1) पैरा – 5 (क) | अनिर्णीत |
| 2) पैरा – 5 (घ) | अनिर्णीत |
| 3) पैरा – 7 | अनिर्णीत |
| 4) पैरा – 9 | अनिर्णीत |
| 5) पैरा – 14 | अनिर्णीत |
| 6) पैरा – 17 (iii) | अनिर्णीत |

(5) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 3/2003

| | |
|-----------------|----------|
| 1) पैरा – 8 | अनिर्णीत |
| 2) पैरा – 9 (i) | अनिर्णीत |
| 3) पैरा – 10 | अनिर्णीत |
| 4) पैरा – 11 | अनिर्णीत |
| 5) पैरा – 12 | अनिर्णीत |
| 6) पैरा – 13 | अनिर्णीत |
| 7) पैरा – 14 | अनिर्णीत |
| 8) पैरा – 15 | अनिर्णीत |
| 9) पैरा – 16 | अनिर्णीत |
| 10) पैरा – 17 | अनिर्णीत |
| 11) पैरा – 18 | अनिर्णीत |
| 12) पैरा – 19 | अनिर्णीत |
| 13) पैरा – 20 | अनिर्णीत |
| 14) पैरा – 21 | अनिर्णीत |
| 15) पैरा – 22 | अनिर्णीत |
| 16) पैरा – 28 | अनिर्णीत |

| | |
|-------------------|--|
| 17) पैरा – 31 | अनिर्णीत |
| 18) पैरा – 33 | अनिर्णीत |
| 19) पैरा – 34 | अनिर्णीत |
| 20) पैरा – 35 | अनिर्णीत |
| 21) पैरा – 36 | अनिर्णीत |
| 22) पैरा – 40 | अनिर्णीत |
| 23) पैरा – 44 | अनिर्णीत |
| 24) पैरा – 45 | अनिर्णीत |
| 25) पैरा – 46 | अनिर्णीत |
| 26) पैरा – 48 | अनिर्णीत |
| 27) पैरा – 49 | अनिर्णीत |
| 28) पैरा – 50 | अनिर्णीत |
| 29) पैरा – 51 | अनिर्णीत |
| 30) पैरा – 52 | अनिर्णीत |
| 31) पैरा – 53 | अनिर्णीत |
| 32) पैरा – 54 | अनिर्णीत |
| 33) पैरा – 56 | अनिर्णीत |
| 34) पैरा – 57(i) | अनिर्णीत |
| 35) पैरा – 57(ii) | अनिर्णीत |
| 36) पैरा – 58 | अनिर्णीत |
| 37) पैरा – 61 | निर्णीत ₹575 की वसूली जी - 8 संख्या-1168/29 दिनांक 9-04-12 के अन्तर्गत कर ली गई है |
| 38) पैरा – 64 | अनिर्णीत |
| 39) पैरा – 65 | अनिर्णीत |
| 40) पैरा – 65(i) | अनिर्णीत |
| 41) पैरा – 66 | अनिर्णीत |
| 42) पैरा – 68 | अनिर्णीत |
| 43) पैरा – 69 | अनिर्णीत |
| 44) पैरा – 70 | अनिर्णीत |
| 45) पैरा – 74 | अनिर्णीत |
| 46) पैरा – 76 | अनिर्णीत |
| 47) पैरा – 77 | अनिर्णीत |

| | |
|----------------|---|
| 48) पैरा – 78 | अनिर्णीत |
| 49) पैरा – 79 | अनिर्णीत |
| 50) पैरा – 81 | अनिर्णीत |
| 51) पैरा – 83 | अनिर्णीत |
| 52) पैरा – 84 | अनिर्णीत |
| 53) पैरा – 85 | अनिर्णीत |
| 54) पैरा – 86 | अनिर्णीत |
| 55) पैरा – 87 | अनिर्णीत |
| 56) पैरा – 88 | अनिर्णीत |
| 57) पैरा – 93 | निर्णीत वांछित अभिलेख की पुष्टि उपरान्त |
| 58) पैरा – 95 | अनिर्णीत |
| 59) पैरा – 97 | अनिर्णीत |
| 60) पैरा – 100 | अनिर्णीत |
| 61) पैरा – 101 | अनिर्णीत |

(6) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 3/2007

| | |
|-------------------|--------------|
| 1) पैरा – 3 (ए) | अंशत निर्णीत |
| 2) पैरा – 4 (ए) | अनिर्णीत |
| 3) पैरा – 4 (डी) | अनिर्णीत |
| 4) पैरा – 5 (ए) | अनिर्णीत |
| 5) पैरा – 5 (बी) | अनिर्णीत |
| 6) पैरा – 6 (ए) | अनिर्णीत |
| 7) पैरा – 6 (सी) | अनिर्णीत |
| 8) पैरा – 6 (एफ) | अनिर्णीत |
| 9) पैरा – 6 (के) | अनिर्णीत |
| 10) पैरा – 6 (एल) | अनिर्णीत |
| 11) पैरा – 6 (एम) | अनिर्णीत |
| 12) पैरा – 6 (आर) | अनिर्णीत |
| 13) पैरा – 6 (एस) | अनिर्णीत |
| 14) पैरा – 6 (यू) | अनिर्णीत |
| 15) पैरा – 6 (वी) | अनिर्णीत |
| 16) पैरा – 7 (ए) | अनिर्णीत |

| | |
|-------------------|--------------|
| 17) पैरा – 7 (सी) | अनिर्णीत |
| 18) पैरा – 7 (डी) | अनिर्णीत |
| 19) पैरा – 7 (एफ) | अनिर्णीत |
| 20) पैरा – 7 (जी) | अंशत निर्णीत |

(7) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 3/2011

| | |
|-------------------|--------------|
| 1) पैरा – 5.1 | अनिर्णीत |
| 2) पैरा – 6.3 | अनिर्णीत |
| 3) पैरा – 6.4 | अनिर्णीत |
| 4) पैरा – 6.5 | अनिर्णीत |
| 5) पैरा – 6.5.1 | अनिर्णीत |
| 6) पैरा – 7 | अंशत निर्णीत |
| 7) पैरा – 7.2 | अनिर्णीत |
| 8) पैरा – 7.3 | अनिर्णीत |
| 9) पैरा – 7.4 | अनिर्णीत |
| 10) पैरा – 7.6 | अनिर्णीत |
| 11) पैरा – 7.7 | अनिर्णीत |
| 12) पैरा – 8 | अनिर्णीत |
| 13) पैरा – 8.1 | अनिर्णीत |
| 14) पैरा – 8.3 | अनिर्णीत |
| 15) पैरा – 8.4 | अनिर्णीत |
| 16) पैरा – 8.5 | अनिर्णीत |
| 17) पैरा – 8.6 | अनिर्णीत |
| 18) पैरा – 8.7 | अनिर्णीत |
| 19) पैरा – 8.8 | अनिर्णीत |
| 20) पैरा – 8.9 | अनिर्णीत |
| 21) पैरा – 8.10 | अनिर्णीत |
| 22) पैरा – 8.10.1 | अनिर्णीत |
| 23) पैरा – 8.10.2 | अनिर्णीत |
| 24) पैरा – 8.11 | अनिर्णीत |
| 25) पैरा – 8.11.1 | अनिर्णीत |
| 26) पैरा – 8.11.2 | अनिर्णीत |

| | |
|-------------------|----------|
| 27) पैरा – 8.11.3 | अनिर्णीत |
| 28) पैरा – 9 | अनिर्णीत |
| 29) पैरा – 9.1 | अनिर्णीत |
| 30) पैरा – 9.2 | अनिर्णीत |
| 31) पैरा – 9.3 | अनिर्णीत |
| 32) पैरा – 10 | अनिर्णीत |
| 33) पैरा – 11 | अनिर्णीत |
| 34) पैरा – 12 | अनिर्णीत |
| 35) पैरा – 13 | अनिर्णीत |
| 36) पैरा – 14.1 | अनिर्णीत |
| 37) पैरा – 14.2 | अनिर्णीत |

(8) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 3/2013

| | |
|--------------------|--------------|
| 1) पैरा – 5.1 | अनिर्णीत |
| 2) पैरा – 5.2 | अनिर्णीत |
| 3) पैरा – 5.4 | अनिर्णीत |
| 4) पैरा – 5.5 | अनिर्णीत |
| 5) पैरा – 6.6 | अंशत निर्णीत |
| 6) पैरा – 7 | अंशत निर्णीत |
| 7) पैरा – 7.6 (i) | अनिर्णीत |
| 8) पैरा – 7.6 (ii) | अनिर्णीत |
| 9) पैरा – 8 (ड.) | अनिर्णीत |
| 10) पैरा – 8.2(i) | अनिर्णीत |
| 11) पैरा – 8.3 | अनिर्णीत |
| 12) पैरा – 8.4 | अनिर्णीत |
| 13) पैरा – 11 | अनिर्णीत |
| 14) पैरा – 12 | अनिर्णीत |
| 15) पैरा – 13 | अनिर्णीत |
| 16) पैरा – 14 | अनिर्णीत |
| 17) पैरा – 15 | अनिर्णीत |
| 18) पैरा – 16 | अनिर्णीत |
| 19) पैरा – 17 | अनिर्णीत |

| | | |
|--|---------------|--|
| 20) पैरा – 18 | अनिर्णीत | |
| 21) पैरा – 19 | अनिर्णीत | |
| (9) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 3/2015 | | |
| 1) पैरा – 4.3 | अनिर्णीत | |
| 2) पैरा – 5 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या - 7 पर प्रारूपित है। |
| 3) पैरा – 5.1 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 7.1 पर प्रारूपित है। |
| 4) पैरा – 5.2 | अनिर्णीत | |
| 5) पैरा – 5.3 | अनिर्णीत | |
| 6) पैरा – 6 | स्वतः निर्णीत | |
| 7) पैरा – 6.1 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या - 9.1 पर प्रारूपित है। |
| 8) पैरा – 6.1.1 | अनिर्णीत | |
| 9) पैरा – 6.1.2 | अनिर्णीत | |
| 10) पैरा – 6.2 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 9.2 पर प्रारूपित है। |
| 11) पैरा – 6.3 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 9.3 पर प्रारूपित है। |
| 12) पैरा – 6.3.1 | अनिर्णीत | |
| 13) पैरा – 6.4 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या -9.4 पर प्रारूपित है। |
| 14) पैरा – 6.5 | अनिर्णीत | |
| 15) पैरा – 6.6 | निर्णीत | जी – 8 संख्या 1275/39 दिनांक 23-11-15 के अन्तर्गत शराब कर ₹548490 की वसूली की पुष्टि उपरान्त |
| 16) पैरा – 6.7 | अनिर्णीत | |
| 17) पैरा – 7 | स्वतः निर्णीत | |
| 18) पैरा – 7.1 | अनिर्णीत | |
| 19) पैरा – 7.2 | अनिर्णीत | |
| 20) पैरा – 7.3 | अनिर्णीत | |
| 21) पैरा – 7.4 | निर्णीत | ₹3094 की वसूली वाऊचर संख्या -1 दिनांक 30-05-15 द्वारा कर ली गई है |
| 22) पैरा – 7.5 | निर्णीत | ₹100 की वसूली जी - 8 संख्या 1267/25 |

दिनांक 23-06-15 द्वारा कर ली गई है
 अंशत निर्णीत श्री हरपाल सिंह संबिदाकार से ₹23016 की
 वसूली वाऊचर संख्या 518 दिनांक 21-01-
 16 के अन्तर्गत कर ली गई है

| | |
|---------------------|----------|
| 23) पैरा – 8 | |
| 24) पैरा – 8.1 | अनिर्णीत |
| 25) पैरा – 8.2(i) | अनिर्णीत |
| 26) पैरा – 8.2.2 | अनिर्णीत |
| 27) पैरा – 8.2.3 | अनिर्णीत |
| 28) पैरा – 8.2.4 | अनिर्णीत |
| 29) पैरा – 8.3(i) | अनिर्णीत |
| 30) पैरा – 8.3(ii) | अनिर्णीत |
| 31) पैरा – 8.3(iii) | अनिर्णीत |
| 32) पैरा – 8.4(i) | अनिर्णीत |
| 33) पैरा – 8.4(ii) | अनिर्णीत |
| 34) पैरा – 8.4(ii) | अनिर्णीत |
| 35) पैरा – 8.5 | अनिर्णीत |
| 36) पैरा – 8.6 | अनिर्णीत |
| 37) पैरा – 8.6(i) | अनिर्णीत |
| 38) पैरा – 8.6(ii) | अनिर्णीत |
| 39) पैरा – 8.6(iii) | अनिर्णीत |
| 40) पैरा – 8.6(iv) | अनिर्णीत |
| 41) पैरा – 8.6(v) | अनिर्णीत |
| 42) पैरा – 8.7 | अनिर्णीत |
| 43) पैरा – 8.8 | अनिर्णीत |
| 44) पैरा – 8.9 | अनिर्णीत |
| 45) पैरा – 8.10 | अनिर्णीत |
| 46) पैरा – 9 | अनिर्णीत |
| 47) पैरा – 10 | निर्णीत |
| 48) पैरा – 11 | अनिर्णीत |
| 49) पैरा – 12 | अनिर्णीत |

₹118 की वसूली जी-8 संख्या 1267/24
 दिनांक 23-06-15 द्वारा कर ली गई है

| | |
|--|-----|
| दिनांक 31.3.15 तक अनिर्णीत पैरे | 225 |
| वर्तमान अंकेक्षण अवधि में लगाए गए पैरे | 26 |
| वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे | 14 |
| कुल | 237 |